न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 105/2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/261

अनवान

1. किशोर पुत्र नन्दा जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पुत्र नन्दा जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कंकु पत्नि भैरूलाल जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जीवराज पुत्र भैरूलाल जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. अमर सिंह चारण – अधिवक्ता प्रार्थी
2. विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 5 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः– 12/2/2026

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. राजस्व ग्राम लखाहोली पटवार हल्का बकाण तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजियात स्थित है :–

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	52	362	0.32
2	52	363	0.23
3	52	445	0.67
4	52	447	0.37
5	52	448	0.56
6	52	449	0.69
7	52	450	0.06
8	52	458	0.27
9	52	459	0.28
10	52	460	1.22
	कुल किता कुल रकबा	10	4.67

प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत की है।

2. उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड है तथा उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

अलग–अलग काबिज चले आ रहे हैं और अपने–अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

3. वादग्रस्त आराजियात का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है तथा भूमिया राजस्व रेकार्ड में सामलाती ही चली आ रही है तथा उक्त वर्णित भूमियां प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के सामलाती दर्ज रहने से भूमियों का उपयोग उपभोग करने, ऋणादि प्राप्त करने, लगान जमा कराने, अपने हिस्से की भूमि की देखभाल करनें निर्माण करने, रास्ते आदि में प्रार्थी को भारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है जिससे प्रार्थी उसके नाम दर्ज एवं निहित हिस्से का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बॉण्ड्स के आधार पर रास्ते की समुचित व्यवस्था रखते हुए विभाजन करवा अपने हिस्से का अलग स्वतंत्र खाता राजस्व रेकार्ड में कायम करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को सहमति से सामलाती रास्ते की समुचित व्यवस्था रखते हुए विभाजन करने बाबत कई बार कहा किन्तु हर बार अप्रार्थीगण टालमटोल करते रहे और दिनाक 15.06.2023 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को अन्तिम बार कहा तो वे इनकार हो गए और प्रार्थी को धमकी दी कि बिना विभाजन करवाए ही अन्य को रहन बय बक्शीश कर देंगे, भूमियों के विशेष भाग को अन्य को विक्रय कर देंगे व निर्माण कार्य करेंगे जिससे अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

4. अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि अस्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक प्रार्थी विरूद्व विपक्षीगण के इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम लखाहोली के खाता संख्या 52 में अंकित कुल किता 10 कुल रकबा 4.67 है0 में अप्रार्थीगण बिना विभाजन करवाए किसी प्रकार का स्थाई या अस्थाई निर्माण नही करे ना ही किसी अन्य करावें और ना ही भूमियों का स्वरूप परिवर्तन करें तथा वादग्रस्त भूमियों के विशिष्ट हिस्से पर कब्जा नही करे तथा ना ही अन्य से करावें तथा भूमियों को विकय, रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे व अजनबियों को प्रवेश नही करावें एवं रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखें।

5. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.07.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किए गए। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 01.04.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 08.04.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 4 औपचारिक पक्षकार है।

6. प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम दर्ज एवं निहित हिस्से का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बॉण्ड्स के आधार पर रास्ते की समुचित व्यवस्था रखते हुए विभाजन करवा अपने हिस्से का अलग स्वतंत्र खाता राजस्व रेकार्ड में कायम करवाना चाहता है। विपक्षीगण वादग्रस्त आराजियात को बिना विभाजन करवाए ही अन्य को रहन बय बक्शीश कर देंगे, भूमियों के विशेष भाग को अन्य को विक्रय करने व निर्माण कार्य करने पर उतारू है जिससे अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

7. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए वादी अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि वादवर्णित आराजियात प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त आराजियात इनकी संयुक्त खातेदारी आराजियात है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है। संयुक्त खातेदारी आराजियात मे प्रत्येक खातेदार का आराजियात के प्रत्येक इंच पर समान अधिकार होता है। मूल प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिकी भी जारी की जा चुकी है। जमाबन्दी के अवलोकन के स्पष्ट है कि सम्पूण खाते पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली का रहन दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारवान नही होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12/2/2026 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा